संख्या–2192/33–3–2021–67/2012

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3, लखनऊ दिनांक 17 नवम्बर, 2021

विषयः पंचायत पुरस्कार वर्ष 2022 के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार एवं बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बिजय कुमार बेहेरा, आर्थिक सलाहकार, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–एन0–11019/23/2021–गर्वनेन्स दिनांक 01 नवम्बर, 2021 एवं www.panchayataward.gov.in पर उपलब्ध मार्गनिर्देशिका द्वारा पंचायत पुरस्कार, वर्ष 2022 हेतु ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के वर्ष 2020–21 के उत्कृष्ट कार्यो के आधार पर ऑनलाइन नामांकन करने हेतु सामान्य एवं सामान्य+विषयगत श्रेणी की प्रश्नावलियां भारत सरकार की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर इस आशय से उपलब्ध करायी गयी है कि त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा वर्ष 2020–21 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) पुरस्कार एवं बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार वर्ष 2022 हेतु ऑन–लाइन नामांकन किया जा सके। उक्त के क्रम में निम्नवत् निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1– **योजना का उद्देश्य :–**

- पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से पुरस्कृत किया जाना।
- पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों एवं बेहतर स्वशासन को नीति निर्धारकों की दृष्टि में लाया जाना।

2– **सामान्य निर्देश :–**

- त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा वर्ष 2020–21 में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर उक्त समस्त पुरस्कार सम्बन्धी प्रश्नावलियों को ऑनलाइन भरकर स्वमूल्यांकन कर दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 तक जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- इस प्रकार ऑनलाइन भरी हुई प्रश्नावलियों के परीक्षण एवं सत्यापनोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–2931(1)/33–3–2015–153/2015 दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 के अनुसार स्टेट पंचायत परफारमेन्स कमेटी द्वारा अंकों के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के अन्तर्गत 29 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों एवं 02 जिला पंचायतों, नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के अन्तर्गत 01 ग्राम सभा, ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) पुरस्कार के अन्तर्गत देश में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली 01 ग्राम पंचायतों एवं बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार के अन्तर्गत प्रदेश में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली 01 ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 15 जनवरी, 2022 के पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।
- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से समयान्तर्गत भारत सरकार की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर दिये गये मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
- उक्त समस्त पुरस्कार के लिए वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर आवेदन हेतु सचिव, ग्राम पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पं0) के यूजर आईडी और पासवर्ड सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी की ईमेल आईडी पर तथा जिला पंचायतों के यूजर आईडी पूर्व वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराये गये यूजर आईडी और पासवर्ड ही मान्य होगें। पंचायतों द्वारा पासवर्ड को विकास खण्ड तथा जनपद स्तर से रिसेट किया जा सकेगा।
- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार वर्ष 2022 अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पुरस्कार के दो श्रेणी यथा सामान्य एवं सामान्य+विषयगत दिये गये हैं। सामान्य पुरस्कार हेतु पंचायतों द्वारा 100 अंकों वाली प्रश्नावली (सामान्य प्रश्नावली) के माध्यम से एवं सामान्य+विषयगत पुरस्कार हेतु सामान्य प्रश्नावली एवं भारत सरकार द्वारा चयनित 09 विषयों में से किसी एक विषय पर 20 अंकों वाली प्रश्नावली पर आवेदन किया जायेगा।
- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा सामान्य श्रेणी या सामान्य+विषयगत श्रेणी में तथा क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन किया जायेगा।

- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु भारत सरकार द्वारा चयनित 09 विषयों की सूची निम्नवत् है:–

  1– स्वच्छता।

  2– नागरिक सेवायें (पानी, स्ट्रीटलाईट, बुनियादी संरचना)।

  3– प्राकृतिक संसाधन का प्रबन्धन

  4– अधिकारहीन वर्ग की सेवायें (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ विकलांग /महिलाओं/वरिष्ठ नागरिक)।

  5– सामाजिक क्षेत्र में प्रदर्शन।

  6– आपदा प्रबन्धन।

  7– ग्राम पंचायतों को स्वयं सेवी संस्थाओं/सी0बी0ओ0 द्वारा दी जा रहीं सेवायें।

  8– राजस्व सृजन में नवाचार।

  9– ई–गर्वनेन्स।

- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार किसी जनपद से 02 क्षेत्र पंचायतों तथा 02 ग्राम पंचायतों से अधिक का प्रस्ताव पुरस्कार के लिए स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक पुरस्कार श्रेणी में ऐसी त्रिस्तरीय पंचायतें जो कि विगत 03 वर्षों से लगातार पुरस्कार प्राप्त कर रही है, वे इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगी। इस निमित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा उक्त अपात्र पंचायतों को राज्य स्तरीय कमेटी को ऑनलाइन अग्रसारित नहीं किया जायेगा।
- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी से प्राप्त अंको के आधार पर अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 29 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का भारत सरकार द्वारा सत्यापन कराकर दिनांक 24 अप्रैल, 2022 को कुल चयनित पंचायतों में से एक तिहाई ग्राम पंचायतों को सामान्य+विषयगत पुरस्कार की श्रेणी में तथा शेष पंचायतों को सामान्य पुरस्कार की श्रेणी में पुरस्कृत किया जायेगा।
- नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार वर्ष 2022 हेतु भी उक्त वेबसाइट पर ही समान प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2020–21 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 100 अंकों वाली सामान्य प्रश्नावली पर नामांकन किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) पुरस्कार वर्ष 2022 हेतु भी उक्त वेबसाइट पर ही समान प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020–21 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 100 अंकों वाली सामान्य प्रश्नावली पर नामांकन किया जायेगा।

- बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार वर्ष 2022 हेतु भी उक्त वेबसाइट पर ही समान प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020–21 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 100 अंकों वाली सामान्य प्रश्नावली पर नामांकन किया जायेगा।
- निदेशक, पंचायतीराज एवं समस्त जिलाधिकारी अपने स्तर से योजना का प्रचार–प्रसार करेंगे। इस कार्य हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञापन के माध्यम का प्रयोग किया जायेगा तथा जनपद/विकास खण्ड स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से किया जायेगा।
- त्रिस्तरीय पंचायतें ऑनलाइन प्रश्नावलियों को समयसारिणी अनुसार पूर्ण रूप से भरने हेतु स्वयं उत्तरदायी होगी। यदि किसी त्रिस्तरीय पंचायत द्वारा आवेदन समयसीमा अन्तर्गत नहीं किया जाता है तो उन त्रिस्तरीय पंचायतों को पुरस्कार हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार पंचायत पुरस्कार वर्ष 2022 की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जानी है। अतः योजनान्तर्गत समस्त ऑनलाइन कार्यवाही भारत सरकार के साफ्टवेयर www.panchayataward.gov.in पर किये गये प्राविधानानुसार सम्पादित किया जाये।
- भारत सरकार द्वारा इस वर्ष आवेदन कर रही पंचायतों के उत्कृष्ट कार्यों के बेहतर प्रदर्शन हेतु पंचायतें 50 एम0बी0 की वीडियो फिल्म भी सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर सकेंगी।

3– आवेदन एवं चयन प्रक्रियाः–

दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार वर्ष 2022 (सामान्य एवं विषयगत) की प्रश्नावलियॉ ऑन–लाइन निम्नलिखित प्रकार से भरी जायेंगी :–

(1) दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार वर्ष 2022 हेतु सभी त्रिस्तरीय पंचायतें उपलब्ध प्रश्नावलियों पर वर्ष 2020–21 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर ऑन–लाइन अपने स्तर से फ्रीज कर जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को अग्रसारित करेगी। जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा इस प्रकार प्राप्त प्रश्नावालियों का अनुमोदन कर पंचायतों को राज्य स्तर पर गठित स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को अग्रसरित कर फ्रीज करेंगी। यह कार्य वेब–पोर्टल www.panchayataward.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा।

(2) **ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में–** दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायत पुरस्कार के वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध सामान्य श्रेणी में ग्राम पंचायत द्वारा 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर तथा सामान्य+विषयगत पुरस्कार हेतु 9 विषयों में से किसी एक विषय की 20 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर

सहायक विकास अधिकारी (पं0) के पर्यवेक्षण में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ऑन–लाइन भर कर फ्रीज की जायेंगी। प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उत्तरालेखन के साक्ष्यों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत का होगा। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियॉ जो जनपद स्तर पर कार्यालय ज्ञाप संख्या–2931(1)/33–3–2015–153/2015 दिनांक 30 अक्तूबर, 2015 द्वारा गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को परीक्षण हेतु ऑन–लाइन उपलब्ध हो जायेंगी। जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा पंचायतों के प्रस्तुतीकरण एवं प्रश्नावलियों के परीक्षण कर अनुमोदित पंचायतों की सूची स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को ऑन–लाइन फ्रीज कर अग्रसारित की जायेगी।

(3) **क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में–** दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध सामान्य श्रेणी में क्षेत्र पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सम्बन्धित विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी(पं0)/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख के पर्यवेक्षण में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ऑन–लाइन भर कर प्रश्नावलियॉ फ्रीज की जायेगी। प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उत्तरालेखन के साक्ष्यों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी का होगा। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियॉ जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को परीक्षण हेतु ऑन–लाइन उपलब्ध हो जायेगी। जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा क्षेत्र पंचायतों के प्रस्तुतीकरण एवं प्रश्नावलियों के परीक्षण कर अनुमोदित पंचायतों की सूची स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को ऑन–लाइन फ्रीज कर अग्रसारित की जायेगी।

(4) समस्त जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनान्तर्गत जनपद की समस्त पंचायतों द्वारा अधिकाधिक ऑनलाइन आवेदन किया जाये, परन्तु जनपद स्तरीय सत्यापनोपरान्त जनपद पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी से स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को अग्रसरित की जाने वाली **पंचायतो की कुल संख्या 05 से कम एवं 08 से अधिक ग्राम पंचायत प्रति जनपद न हो। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत को अग्रसारित करने की जाने वाली पंचायतों की कुल संख्या–02 से कम एवं 04 से अधिक न हो।**

(5) **जिला पंचायत के सम्बन्ध में–** दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध जिला पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत, अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ऑन–लाइन भर कर प्रश्नावलियॉ फ्रीज की जायेगी।

इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियॉ स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को ऑन–लाइन उपलब्ध हो जायेगी।

स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को जिला पंचायतों द्वारा अग्रसारित प्रश्नावलियों का उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक द्वारा समस्त आवेदित

जिला पंचायतों का स्वयं के स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त् सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 06 जिला पंचायतों की सूची स्थलीय सत्यापन हेतु निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

योजनान्तर्गत जिला पंचायतों द्वारा ऑनलाइन नामांकन कराने हेतु उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक लखनऊ उ0प्र0 द्वारा स्वयं के स्तर से समस्त जिला पंचायतों को सूचित/प्रेरित किया जाये एवं यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिला पंचायतें अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करे, जिसके लिए उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ उ0प्र0 स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(6) ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की सामान्य बैठक में योजना की जानकारी को पढ़कर सुनाने हेतु समस्त जनपदों के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों की संख्या के अनुसार समस्त जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारियों को नमूने के तौर पर ऑन–लाइन प्रश्नावलियॉ विभाग की वेब–साईट www.panchayatiraj.up.nic.in/- एवं www.panchayataward.gov.in पर भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) उपरोक्त योजना की ऑन–लाइन प्रक्रिया की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर से समस्त मण्डलीय/जिला कन्सलटेन्ट/जिला परियोजना प्रबन्धकों को विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा जो अपने जनपद के सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों/अपर मुख्य अधिकारी को प्रशिक्षण देगें। प्रशिक्षण का समय/दिनांक/स्थान निश्चित कर इन अधिकारियों को ट्रेनिंग में भाग लेने हेतु समस्त जनपदों के सबंधित जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा निर्देश निर्गत कर प्रशिक्षण कराया जायेगा। जनपद के सम्बधित जिला परियोजना समन्वयक/जिला परियोजना प्रबन्धक स्वयं इन प्रश्नावलियों को भरने में ग्राम पंचायत अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों/अपर मुख्य अधिकारी की सहायता भी करेंगे।

(8) जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा आनलाइन अग्रसारित की गयी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम सभा की ऑन–लाइन सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली प्रश्नावलियों को अंको के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध करने हेतु निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा निदेशालय स्तर पर निम्नवत कमेटी गठित की जायेगी :–

(1) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक(पं0) पंचायती राज उ0प्र0।

(2) एक प्रशासनिक अधिकारी, पंचायती राज उ0प्र0।

(3) एक कन्सलटेन्ट (आर0जी0एस0ए0) पंचायती राज उ0प्र0।

उक्त कमेटी के परीक्षणोपरान्त अंकों के अवरोही क्रम तथा भारत सरकार के साफ्टवेयर www.panchayataward.gov.in पर किये गये प्राविधानुसार **यथासाध्य** 12 क्षेत्र पंचायतें एवं 87 ग्राम पंचायतों व जनपदों से प्राप्त ग्राम सभा की सूची तैयार की जायेगी व प्रस्तर क्रमांक–05 अनुसार उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रण कोष्ठक, लखनऊ से प्राप्त 06 जिला पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराने के लिए निदेशालय स्तर पर सत्यापन दल के गठन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 अधिकृत होगें, जो कि पूर्व की भांति

जिला/मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक/समन्वयक, जिला/मण्डलीय कन्सलटेन्ट/मास्टर ट्रेनर(निदेशालय/प्रिट स्तर पर) डी0आर0जी0 सदस्य /एस0आर0जी0 सदस्य, राज्य कन्सलटेन्टस एवं किसी अन्य संस्था के माध्यम से किया जा सकेगा।

पंचायतों के स्थलीय सत्यापन हेतु सत्यापन दल को निदेशालय स्तर से प्रशिक्षण विडियो कोन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षणोपरान्त् सत्यापन दल द्वारा उक्त त्रिस्तरीय पंचायतों का स्थलीय सत्यापन किया जायेगा एवं सत्यापनोपरान्त सत्यापन दल द्वारा उक्त समस्त पंचायतों की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 को ऑनलाइन अग्रसारित की जायेगी।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी साफ्टवेयर के प्रावधानानुसार स्थलीय सत्यापन दल द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्यानुसार साफ्टवेयर पर राज्य स्तर से वास्तविक उत्तर अंकित करने उपरान्त् ही प्रत्येक प्रश्न पर अंक प्रदर्शित होगें, इसलिए सत्यापन दल द्वारा अपनी रिपोर्ट को निदेशालय स्तर से साफ्टवेयर पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। इस परिप्रेक्ष्य में निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 द्वारा पृथक से निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत होंगे।

(9) सत्यापन दल द्वारा अग्रसारित ऑनलाइन सत्यापन रिपोर्ट का निदेशालय स्तर पर परीक्षण कर प्राप्त अंको के अवरोही क्रम तथा भारत सरकार के साफ्टवेयर www.panchayataward.gov.in पर किये गये प्राविधानुसार प्रत्येक पुरस्कार श्रेणी व प्रत्येक पंचायत स्तर पर सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली अधिकतम 58 ग्राम पंचायतों एवं 08 क्षेत्र पंचायतों तथा 06 जिला पंचायतों का प्रस्ताव स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। तद्नुसार स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा उक्त त्रिस्तरीय पंचायतों का अनुमोदन कर प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 15 जनवरी, 2022 तक ऑन–लाइन उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त पुरस्कार वर्ष 2022 हेतु उक्त वेबसाइट पर ही समान प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत/ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2020–21 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 100 अंकों वाली प्रश्नावलियाँ अंकित कर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा ऑन–लाइन नामांकन कर दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी हेतु फ्रीज की जायगी तथा जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा अनुमोदित ग्राम सभा में से सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली एक ग्राम सभा की प्रश्नावलियां को दिनांक 25 दिसम्बर, 2021 तक स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी हेतु फ्रीज की जायेगी। नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) पुरस्कार एवं बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार के अन्तर्गत अधिकतम 03–03 ग्राम पंचायतों का निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा भारत सरकार को स्टेट पंचायत परफारमेन्स कमेटी के माध्यम उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) इस प्रकार क्रमांक–09 एवं 10 में दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) तथा बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार के अन्तर्गत प्रेषित की गयी त्रिस्तरीय पंचायतों का पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वयं के स्तर से

स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त सूचना सही पाये जाने पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2022 को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार अन्तर्गत कुल चयनित 35 त्रिस्तरीय पंचायतों, नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) पुरस्कार एवं बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार के अन्तर्गत 01–01 ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा। योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्रशासनिक मद की धनराशि को विभिन्न मदों में भारत सरकार के मार्गनिर्देशानुसार निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने के उपरान्त यथास्थिति व्यय किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समयसीमा को दृष्टिगत रखते पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत से सम्बन्धित प्रश्नावलियों को (समय–सारिणी संलग्न) के अनुसार ऑन–लाइन भरकर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Manoj 17.4.21

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– डा0 बिजय कुमार बेहेरा, आर्थिक सलाहकार, पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार 11वी मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0 मार्ग नई दिल्ली के अर्द्वशासकीय पत्र संख्या–एन0–11019/23/2021–गर्वनेन्स दिनांक 01 नवम्बर, 2021 के क्रम में।

2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं प्राथमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन।

3– निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।

4– समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।

5– महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब लखनऊ।

6– आयुक्त ग्राम्य विकास 10 वां तल जवाहर भवन लखनऊ।

7– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

8– उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायतीराज निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित व अपने अधीनस्थ जनपदों के अपर मुख्य अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को अवगत कराये।

9– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने अधीनस्थ जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को अवगत कराये।

10– समस्त अपर मुख्य अधिकारी, उ0प्र0।

11– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)

अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–2192/33-3-2021-67/12 दिनांक 17.11.21 का संलग्नक

दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) एवं बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 के पर्यवेक्षण एवं विभिन्न कार्यकलापों की समय सारणी।

क्र0सं0	गतिविधि	दिनांक
1	<u>ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में :–</u> पंचायत पुरस्कार की विभिन्न पुरस्कार श्रेणियां यथा–दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल मैत्री पंचायत पुरस्कार एवं जी.पी.डी.पी. पंचायत पुरस्कार अन्तर्गत पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) की देखरेख में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 15.12.2021 तक
2	<u>क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में :–</u> दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सम्बन्धित विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी (पं0)/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लाक प्रमुख की देखरेख में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ऑनलाइन भरकर प्रश्नावलियां भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 15.12.2021 तक
3	<u>जनपद स्तरीय समिति द्वारा चयनित पंचायतों को फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में–</u> ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों के अन्तर्गत फ्रीज की गयी ऑनलाइन प्रश्नावलियों का जनपदस्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा परीक्षण/स्थलीय सत्यापन/अनुमोदन कर चयनित पंचायतों की सूची को ऑनलाइन राज्यस्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 25.12.2021 तक

क्र0सं0	गतिविधि	दिनांक
4	**<u>जिला पंचायत के सम्बन्ध में</u>** :– पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब–पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत, अध्यक्ष की देखरेख में साक्ष्यों के आधार पर जनपद के सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ऑनलाइन भरकर फ्रीज कर अग्रसारित किया जाना।	दिनांक 15.12.2021 तक
5	स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को जिला पंचायतों द्वारा अग्रसारित प्रश्नावलियों का उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक के स्तर से परीक्षण कर चयनित सूची स्थलीय सत्यापन के लिए ऑफलाइन को उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक 23.12.2021 तक
6	निदेशालय स्तर पर जनपदों से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की प्राप्ताकों के आधार पर प्राप्त सर्वोत्कृष्ट अंक वाली प्रश्नावलियों को अंकों के अवरोही क्रम में पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के साफ्टवेयर के प्राविधानुसार सूची निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा तैयार किया जाना।	दिनांक 28.12.2021 तक
7	सत्यापन दल गठन करना तथा सत्यापन दल को पंचायतों के स्थलीय सत्यापन की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना।	दिनांक 28.12.2021 तक
8	सत्यापन दल द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों का स्थलीय सत्यापन किया जाना।	दिनांक 29.12.2021 से 08.01.2022
9	सत्यापन दल द्वारा सत्यापन रिपोर्ट स्टेट पंचायत परफरामेन्स असेसमेन्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक 09 से 11 जनवरी, 2022
10	स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा चयनित दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के अन्तर्गत पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के साफ्टवेयर के प्राविधानुसार प्रस्ताव पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक 12.01.2022 तक

नोट :– उक्त योजनान्तर्गत पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार समय–सारणी उक्त सीमा तक निदेशक, पंचायतीराज द्वारा संशोधित की जा सकेगी।